यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड़, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड़, देहरादून के माह 09/2014 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं कपिल भाटी,लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.01.2021 से 19.02.2021 तक श्री बी0डी0 सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग–प्रथम

परिचयात्मक– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, व श्री अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 24.08.2019 से 05.09.2019 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 04/2016 से 07/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान में माह 08/2019 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र– देहरादून।

(ii)(अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः–

(रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	आवंटन	व्यय	अवशेष
2018–19	3578.52	2919.32	659.20
2019–20	4077.75	3377.32	707.34
2020–21(01/21)	4281.94	1498.53	2783.41

(ब)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः–

(रू लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2018–19		शून्य			
2019–20		शून्य			
2020–21 (01/21)		शून्य			

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड़, देहरादून 'ए' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

महानिदेशक
निदेशक
संयुक्त निदेशक
उप–निदेशक
सहायक निदेशक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन–देन–कम–अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

परिशिष्ट–अ

(रू लाख में)

क्र0 स0	गैर सरकारी संस्था का नाम/एन.जी.ओ.	विषय (जिस हेतु अनुदान दिया गया)	कुल स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	नथ्थी देवी वेलफेयर सोसाईटी कन्डोली राजपुर, देहरादून	जनपद चमोली के जोशीमठ में निवास करने वाले जनजातियों के लोक नृत्य,संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा अभिलेखीकरण हेतु 30 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु	2.00	1.20
2	पर्यावरण विकास समिति, कमेड़ी देवी, बागेश्वर	जौनसारी समुदाय के विशिष्ट संस्कृति एवं परम्पराओं पर डाक्यूमेन्ट्री फिल्म निर्माण हेतु	3.00	1.80
3	धूमंसू जौनसारी जनजाति सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था, लाखामण्डल, चकराता, देहरादून	जौनसार बाबर जनजाति क्षेत्र में लोक गायन/लोक नृत्य पर 30 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु	1.50	0.90
4	नव संजीवनी वैलफेयर सोसाईटी, रेसकोर्स, देहरादून	जौनसार के विकासनगर में निवास करने वाले जनजातियों के लोक नृत्य संरक्षण एवं सवर्धन तथा अभिलेखीकरण हेतु तीस दिवसीय कार्यशाला हेतु	2.50	1.50
5	ऊँ परमार्थ पिक्चर्स एवं एजुकेशनल सोसाईटी, हाथी बड़कला, देहरादून	जौनसार के चकराता में निवास करने वाले जनजातियों के लोक नृत्य संरक्षण एवं सवर्धन तथा अभिलेखीकरण हेतु तीस दिवसीय कार्यशाला हेतु	3.00	1.80
6	गीतान्जलि गोकणेश्वर सेवा संस्था, नाकोट पिथौरागढ़	जनजातीय क्षेत्र एवं संस्कृति का अभिलेखन, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु	4.00	2.40
7	सर्वोचल सांस्कृति एवं समाजिक विकास मंच, डीडीहाट, पिथौरागढ़	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत संस्कृति का अभिलेखन, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु	2.00	1.20
8	सोसाईटी फार एक्शन इन हिमालया(सोच), सित्थाम, पिथौरागढ़	मुनस्यारी में शौका जनजाति की वादन, गायन, एवं नृत्य पर 30 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु	4.00	2.40
9	थियेटर फार एजुकेशन इन मास सोसाईटी (टीम), टकाना, पिथौरागढ़	संरक्षण एवं उन्नयन हेतु	2.00	1.20
10	सोसाईटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एवं डेवलपमेंट, सातताल, नैनीताल	जौनसार बाबर की बूढ़ी दिपावली का ऑडियों एवं वीडीयों अभिलेखीकरण हेतु	5.00	3.00
11	रं विकास समिति, कपकोट, बागेश्वर	जनवाली गायन पर 30 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु	1.90	1.14
12	कुँर्माचल सेवा समिति, चम्पावत	थारू जनजाति की संस्कृति के अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण हेतु	1.50	0.90
13	गुंज सोसायटी, जाखन, देहरादून	च्कराता में निवास करने वाले जनजातियों की लोक नृत्य पर 30 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु	3.00	1.80
14	पर्वतीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कला समिति, तिलडुकरी, पिथौरागढ़	भोटिया जनजाति समाज में प्रचलित लोक कथाओं का कार्यशालाओं के माध्यम से संकलन एवं दस्तावेजीकरण के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता	5.00	3.00
			40.40	24.24

भाग 2 अ

प्रस्तर सं. 01- प्रेक्षाग्रह निर्माण पर रु. 73.62 लाख का निष्फल व्यय एवं रु. 31.52 लाख के दायित्व का सृजन।

उत्तराखंड शासन द्वारा बाजपुर मे रु 495.95 लाख की लागत से 300 सीट क्षमता का प्रेक्षाग्रह निर्माण जिसमे अतिरिक्त स्टेज, वीआईपी कमरा, चेंजिंग रूम एवं पार्किंग स्पेस की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (मार्च, 2015)। प्रथम किस्त के रूप मे रु 57.61 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। निर्माण शाखा लोक निर्माण विभाग काशीपुर को कार्यदायी संस्था नामित किया गया तथा प्रथम किश्त के रुप में निर्माण इकाई को रु 57.61 अवमुक्त किये गये निर्माण इकाई के साथ दिनांक 22.07.2015 को MoU हस्तास्तरित किया गया जिसके अनुसार कार्य 28 महीनों मे पूरा किया जाना था। कार्यदायी संस्था ने 16.09.2015 तक प्रथम किश्त व्यय की तथा 12 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की। अभिलेखों की संवीक्षा मे यह पाया गया कि कार्यालय द्वारा कार्यदाई संस्था को 02/2021 तक और कोई किश्त अवमुक्त नहीं की गई। आगे जांच मे यह पाया गया की 09.08.2019 को निदेशक, संस्कृति एवं अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा लोक निर्माण विभाग काशीपुर की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सचिव, संस्कृति विभाग ने की। इस बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि प्रेक्षाग्रह के ढांचे, प्रस्ताव तथा इसकी उपयोगिता को दृष्टिगत निर्मानाधीन शेष निर्माण कार्य को पूरा करना उचित प्रतीत नहीं है तथा कार्य रोकते हुए wind up की प्रक्रिया शरू की जाये अथवा यदि निर्माण ईकाई इसी ढांचे पर 500 सीट की क्षमता का प्रेक्षाग्रह बनाने का कोई प्रस्ताव देती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। जिसके उत्तर मे कार्यदायी संस्था ने अवगत कराया कि वर्तमान ढांचे पर 500 सीट की क्षमता का प्रेक्षाग्रह निर्माण करना तकनीकी रूप से संभव नही हैं। निर्माण ईकाई ने विभाग से ढांचे का निर्माण जिस रूप मे है कब्जा लेने तथा रु 31.52 लाख की धनराशि अवमुक्त करने, जोकि अतिरिक्त कार्य का भुगतान एवं MoU के अंतिमिकरण की राशि है का आग्रह किया गया, नमूना जांच मे यह भी पाया गया की कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य के प्रथम चरण के लिये विभाग द्वारा रु 16.01 लाख पहले भी अवमुक्त किये गये थे। इस प्रकार निर्माण कार्य पर कुल रु 73.62 लाख (16.01 + 57.61) का व्यय किया गया जो कि निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अधूरे ढाँचे को विभाग के उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सचिव, पर्यटन की अध्यक्षता में हुई बैठक (अगस्त 2019) में यह निर्णय लिया गया था कि प्रेक्षागृह के प्रस्ताव, बनावट एवं प्रयुक्त स्थान की उपयोगिता की दृष्टि से औचित्यपूर्ण प्रतीत न होने के कारण कार्य को वर्तमान स्थिति/दशा में ही रोकते हुए (wind up) समाप्त कर दिया जाए। यदि कार्यदायी संस्था प्रश्नगत प्रेक्षागृह हेतु चिह्नित स्थान में 500 सीटों की व्यवस्था के अनुसार नये सिरे से पुनः नवीन औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तो उसपर विचार किया जा सकता है। तकनीकी विभाग (लोक निर्माण विभाग) द्वारा अपनी रिपोर्ट (अक्टूबर 2020) में विभाग को अवगत कराया कि प्रेक्षागृह 300 व्यक्तियों की सीटिंग कैपेसिटी हेतु प्रस्तावित भवन के मानचित्र एवं structural design के अनुसार raft foundation column एवं basement की outer RCC wall का निर्माण पूर्व मे ही कर लिया गया था। अतः 500 व्यक्तियों हेतु प्रेक्षागृह के हॉल का size बढ़ाकर पूर्व निर्मित structure को उपयोग में लेते हुए निर्माण किया जाना तकनीकी दृष्टि से संभव नही है।

अतः स्पष्ट है कि पूर्व निर्मित structure का उपयोग किया जाना तकनीकी दृष्टि से संभव नही है इस प्रकार परियोजना पर किया गया व्यय 73.62 लाख निष्फल रहा तथा परियोजना पर रु. 31.52 लाख के अतिरिक्त दायित्व का सृजन किया गया।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो-ब

प्रस्तर 01- प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं विकास के कार्य मे लगे कलाकारों, कला समूहों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता रू8.19 करोड़ दिये जाना ।

उत्तराखंड सरकार की सांस्कृतिक कार्य प्रणाली के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं विकास के कार्य मे लगे कलाकारों , कला समूहों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को यथा संभव सहयोग एवं सहायता दी जा रही है। इस नीति को प्रदेश मे लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संस्कृति निदेशालय उत्तराखंड, देहारादून को दिशा निर्देश जारी किए गए है, निदेशालय द्वारा दिशा निर्देशों के परिपालन मे, राज्य मे वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 मे विभिन्न कलाकारों , कला समूहों तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदर्शित किए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विवरण, जिनको सरकारी सहायता प्रदान की गई , निम्न तालिका मे प्रस्तुत है;

वित्तीय वर्ष	कलाकारों का विवरण		कला समूहों का विवरण		गैर सरकारी संस्थाओं का विवरण	
	कार्यक्रमों की संख्या	अनुदान (रू लाख मे)	कार्यक्रमों की संख्या	अनुदान (रू लाख मे)	कार्यक्रमों की संख्या	अनुदान रू लाख) (मे
2018-19	263	52.71	561	157.49	20	39.75
2019-20	172	82.97	633	217.72	23	45.00
2020-21	08	50.50	67	172.98	-	-
योग	**443**	**186.18**	**1261**	**548.19**	**43**	**84.75**

1-उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 (जनवरी 2021 तक) विभाग द्वारा 1747 विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रू.819.12 लाख का अनुदान विभिन्न कलाकारों , संगठनों एवं गैर सरकारी संस्थाओं को दिया गया। इस योजना की guideline के अनुसार विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए Cultural Event Calendar बनाया जाना चाहिए जिससे कार्यक्रमों मे विविधता एवं प्रत्येक जनपद का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग द्वारा आयोजित किए गए सांस्कृतिक आयोजन Cultural Event Calendar के अनुसार नही कराये जा रहे थे क्योकि विभागीय Cultural Event Calendar के अनुसार वर्षवार केवल 96 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था जबकि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष कराये गए कार्यक्रमों की संख्या 100 से कई अधिक थी। विभाग द्वारा निर्धारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बहुत अधिक संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में पूछे जाने पर लेखापरीक्षा में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

2-पुनः योजना की guideline के अनुसार विभाग द्वारा चयनित सभी श्रेणियों के दलों को प्रदर्शन का अवसर यथा संभव एक प्रस्तुतीकरण Roster के आधार पर दिया जाना चाहिए जिससे सभी दलों एवं प्रदेश की सभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हो। जिन दलों द्वारा वर्षभर मे कार्यक्रमों मे प्रस्तुति दी जाएगी उनकी सूची विभागीय प्रतिवेदन सूचना मैनुअल व विभागीय वैबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। परंतु इस संबंध मे विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण Roster नही बनाया गया है जिस कारण विभाग द्वारा सभी दलों एवं प्रदेश की सभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रदर्शन का समान अवसर प्राप्त होना सुनिश्चित नही किया गया है। उत्तर मे विभाग द्वारा कहा गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मांग के अनुसार करवाया जाता है जिससे रोस्टर लागू

करना संभव नही है। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योकि शासकीय नियमों की अनदेखी नही की जा सकती है।

3-विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु अनुदान की राशि का भुगतान कार्यक्रमों की प्रस्तुति से पहले तथा प्रस्तुति के बाद दोनों प्रकार से किया जा रहा है । उत्तर मे विभाग द्वारा कहा गया कि जिला प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों पर पूर्व में धनराशि प्रदान की जाती है तथा अवशेष धनराशि का भुगतान उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर किया जाता है।-

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुदान की राशि का भुगतान कार्यक्रमों के आयोजन के पूर्व किया जाना है अथवा आयोजनों के बादसंबंध में विभाग द्वारा नियमों में प्रा ,वधान किया जाना चाहिये अथवा इस संबंध में स्पष्ट एवं लिखित दिशा निर्देश जारी किये जाने चाहिये।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा शासकीय नियमों के अनुपालन पूर्णतः नही किया जा रहा है। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो-ब

प्रस्तर 02 : मेला समितियों को बिना नियमावली के आर्थिक सहायता रू 3.43 करोड़।

संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश मे आयोजित होने वाले विभिन्न ऐतिहासिक मेलों को आयोजित किए जाने हेतु मेला समितियों को वित्तीय वर्ष 2010-11 से आर्थिक सहायता/अनुदान उपलब्ध करायी जा रही है। विभाग द्वारा विगत पाँच वर्षों मे विभिन्न मेला समितियों को उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता का विवरण निम्न प्रकार है ;

क्रं सं	वित्तीय वर्ष	मेला समितियों की संख्या	मेला समितियों को निर्गत अनुदान की राशि (रू. लाख मे)	अब तक असमायोजित अनुदानों की संख्या	असमायोजित अनुदानों की राशि (रू. लाख मे)
1	2015-16	53	27.70	00	00
2	2016-17	52	56.55	01	1.50
3	2017-18	44	80.00	00	00
4	2018-19	41	79.15	00	00
5	2019-20	47	100.00	02	6.00
योग			343.40	03	7.50

योजना से संबन्धित लेखाभिलेखों की जांच मे पाया गया कि;

1- विभाग द्वारा प्रदेश मे आयोजित होने वाले विभिन्न ऐतिहासिक मेलों को आयोजित करवाने हेतु मेला समितियों को वित्तीय वर्ष 2010-11 से आर्थिक सहायताअनुदान उपलब्ध करायी/ जा रही है, परंतु इस अनुदान को मेला समितियों को उपलब्ध कराने हेतु विभाग तथा सरकार द्वारा अभी तक कोई नियमावली नही बनाई गई है जबकि इस योजना के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों मे रू.343.40 लाख निर्गत किए गए ।
2- मेला समितियों को अनुदान की राशि किस प्रकार से वितरित की जाएगी, की कोई समीक्षा नही की गई।
3- मेला समितियों को अनुदान की राशि कैसे व्यय करनी चाहिए तथा किए गए व्यय का विवरण कितने समय अंतराल मे विभाग को प्रस्तुत किए जाने चाहिए, से संबन्धित कोई भी निर्देश विभाग द्वारा जारी नही किए गए है । इस संबंध मे विभागीय दिशा निर्देश न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2015-2019 से 16-.तक तीन मेला समितियों द्वारा रू 207.50 लाख के व्यय का कोई विवरण अब तक प्रस्तुत नही किया गया था। (तक 2021 फरवरी)
4- कतिपय मामलों मे मेला समितियों को अनुदान मेला आयोजन के बाद किया गया है तथा किन्हीं मामलों मे अनुदान मेला आयोजन होने से पहले दिया गया है

लेखापरीक्षा मे पूछे जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे कहा गया कि मेला समितियों को अनुदान जिलाधिकारियों के माध्यम से दिया जाता है तथा किए गए व्यय का उपयोगिता प्रमाणपत्र जिलाधिकारी द्वारा विभाग को प्रस्तुत किया जाता है उपरोक्त तथ्यों एवं आंकणों से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा इस योजना पर व्यय के औचित्य को सही दर्शाने हेतु कोई प्रयास नही किए गए तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई दिशानिर्देशअथवा नियमावली नही बनाई गई। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 03 – 'संस्कृति के विभिन्न आयमों का ऑडियो एवं विडियो अभिलेखीकरण योजना' में शासन के दिशा-निर्देशों का पालन न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 2011 मार्च)) द्वारा सस्कृति के विभिन्न आयामों का ऑडियो एवं विडियो अभिलेखीकरण हेतु विभिन्न दिशा निर्देश जारी किये गये।

निदेशकसंस्कृति विभाग उत्तराखण्ड के अभिलेखों की संवीक्षा म ,ें पाया गया कि उक्त योजना के कार्यान्वयन में शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

1. शासनादेश के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार संस्कृति निदेशालय द्वारा पटकथा एवं उनकी प्रमाणिकता हेतु समिति का गठन किया जायेगा तथा बिन्दु संख्या-18 के अनुसार संस्कृति के क्षेत्र में किये जा रहे ऑडियो एवं विडियो अभिलेखीकरण का प्रदेश की संस्कृति से संबंध एवं वास्तविकता की प्रमाणिकता होना आवश्यक है। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा पटकथा प्रमाणीकरण हेतु किसी समिति का गठन नहीं किया गया।

2. शासनादेश के दिशा निर्देशों के बिन्दु के अनुसार अभिलेखीकरण में पूर्णता 14 शुद्धता एवं मूल स्वरुप को संरक्षित करने हेतु अश्लीलता एवं अप्रमाणिक तथ्यों के ,प्रमाणिकता ,प्रवेश को वर्जित किया जायेगा। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि पर्यावरण विकास समिति 2019 बागेश्वर को वर्ष ,कमेडी देवी- 20में जौनसारी समुदाय के विभिन्न संस्कृति एवं परंपराओं पर डाक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण हेतु कुल रु 3.1 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी जिसमें रु 00.की 80 धनराशि प्रथम किश्त के रुप में जारी की गयी। संस्था द्वारा आदिम जंगली जनजाति वनराजि पुस्तक के आधार पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मित की गयी।

उल्लिखित अभिलेखीकरण की वास्तविकता की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये बिना विभाग में जिसमें अश्लील एवं अमर्यादित शब्दों व तथ्यों का प्रयोग किया गया। ,संरक्षित की गयी

3. पर्यावरण विकास समितिबागेश्वर संस्था को जौनसारी समुदाय क ,कमोडी देवी ,ी विशिष्ट संस्कृति एवं परंपराओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण का कार्य दिया गया था परंतु संस्था द्वारा फिल्म में जौनसार बाबर के मात्र दो स्थानोका उल्लेख किया गया। इससे (कालसी एवं लाखामण्डल) क्षेत्रों/ स्पष्ट होता है कि निदेशालय स्तर पर फिल्म निर्माण हेतुजौनसारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकोंतहीलों एवं ग्रामों के चयन के कोई मानक निर्धारित नहीं किये। ,

के अनुसार ऑडियों एवं विडियो अभिलेखीकरण का कार्य 15 शासनादेश के बिन्दु संख्या एक विषय पर एक ही बार किया जाना है अतः विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि ऑडियो विडियो के अभिलेखीकरण हेतु स्थानोंक्षेत्रों के चयन के मापदण्ड निर्धारित किये जाये जिससे/ग्रामों/ विषय को प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण प्रतिनिधिकरण प्राप्त हो सके।

4. सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एण्ड डेवलेपमेंटनैनीताल को जौनसार ,साततात , बाबर की बूढ़ी दीपावली का ऑडियो एवं विडियो अभिलेखीकरण के आयोजन हेतु रु 5.लाख 00 .की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु3.00 लाख प्रथम किश्त के रुप में अवमुक्त किये गये थे। उक्त दीपावली के लगभग तीन माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी लेखापरीक्षा तिथि तक दीपावली का ऑडियो विडियो अभिलेखीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

इससे यह स्पष्ट है कि अभिलेखीकरण हेतु विभाग द्वारा समय सीमा संबंधी कोई नियम नहीं बनाये गये है। इस संबंध में विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त अभिलेखीकरण हेतु नियमों में समय सीमा निर्धारित की जाये।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 04– **शासन** के निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जाना।

शासन के पत्र 13 दिसम्बर, 2006 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिस स्थान पर मूर्ति /स्मारक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हो उस क्षेत्र से सम्बंधित पंचायत या नगर निकाय के द्वारा भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी जायें। प्रतिमाओं/स्मारकों की स्थापना के प्रस्ताव सम्बंधित पंचायत या नगर निकाय की बोर्ड बैठक में सहमति की उपरान्त ही स्वीकृत किए जायें तथा जहां प्रतिमा/स्मारक निजी भूमि पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो, भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में हस्तान्तरित करवाकर वह प्रस्ताव भी सम्बंधित पंचायत या नगर निकाय के माध्यम से ही प्रेषित किये जायें।

कार्यालय, निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड़, देहरादून के 'महान विभूतियों की मूर्तियॉ/शहीद स्मारकों का निर्माण' (मद–04) से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा ''खटीमा में शहीद स्थल पर भव्य स्मारक का निमार्ण के कार्य के निष्पादन हेतु रू 49.92 लाख (*02 जनवरी, 2020)* की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू 19.97 लाख (*30 जनवरी, 2020*) कार्यदायी संस्था (*ग्रामीण निर्माण विभाग,प्रखण्ड़ ऊधम सिंह नगर*) को प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त किये गये थे परन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य प्रारम्भ नही किया गया था अर्थात विगत एक वर्ष से संदर्भित धनराशि कार्य दायी संस्था के पास अवरूद्ध पड़ी थी।

इसीप्रकार अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत 'जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में सांस्कृतिक भवन/संग्रहालयों का निर्माण'(मद–02) से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि ग्राम सभा– दोहा, विकास खण्ड़– कालसी, देहरादून के अन्तर्गत ग्राम–मटियावा, में 'संस्कृति संग्रहालय' के निर्माण कार्यों हेतु शासन की रू 48.44 लाख (10 *जनवरी, 2019)* की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कार्यालय द्वारा उक्त धनराशि (*24 अगस्त, 2019*) को कार्यदायी संस्था विकास खण्ड़ कालसी, देहरादून को अवमुक्त की गयी। कार्यदायी संस्था *(खण्ड़ विकास अधिकारी)* के मध्य गठित अनुबंध (*24 अगस्त, 2019*) में अनुबंधित था कि संदर्भित कार्य के प्रारम्भ करने की तिथि अगस्त 2019 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि जनवरी 2020 थी परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने अर्थात लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य प्रारम्भ ही नही किया गया था।

अतः सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त शासनादेश में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के परिणामस्वरूप संदर्भित कुल धनराशि रू 68.41 लाख(रू 19.97+ रू 48.44) भूमि उपलब्ध न होने के कारण विगत एक वर्ष से उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं पास अवरूद्ध पड़ी थी जोकि उक्त शासनादेश की शर्तों के विपरीत है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि जिला प्रशासन से भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही तथा द्वित्तीय प्रकरण में टेण्डर की प्रक्रिया गतिमान थी परन्तु द्वित्तीय प्रकरण का उत्तर साक्ष्यों के अभाव में मान्य नहीं क्योंकि एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद अर्थात लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध पड़ी थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो-ब

प्रस्तर 05:- प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण के संदर्भ मे ।

विभाग द्वारा प्रदेश की मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन तथा सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न मदों मे व्यय किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक विभाग द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन तथा विकास के मद मे निम्न प्रकार से व्यय किया गया-

(धनराशि लाख मे)

क्रम सं	**वित्तीय वर्ष**	**बजट आबंटन**	**व्यय**	**टिप्पणी**
1	2017-18	30	26.40	सम्पूर्ण व्यय रामलीला आयोजन तथा होली उत्सव आयोजन पर व्यय किया गया ।
2	2018-19	30	26.81	
3	2019-20	30	26.55	
4	2020-21	200	Nil	

उपरोक्त योजना के संबंध मे लेखा परीक्षा मे पाया गया कि राज्य सरकार निदेशालय द्वारा प्रदेश / की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन तथा सर्वांगीण विकास हेतु अभी तक कोई कार्य विधि या नियमावली नही बनाई गई। विभागीय

वर्गीकरण के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत रम्माणमुख ,ौटालोकनृत्य ,नृत्य , परंतु विभाग द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों में संपूर्ण बजट का उपयोग प्रदेश में ,आदि भी आते है रामलीला आयोजन व होली उत्सव आयोजन पर किया गया है। इससे विदित होता है कि विभाग द्वारा इन अमूर्त विरासतों केसंरक्षण, संवर्धन तथा सर्वांगीण विकास हेतु कोई नीति एवं कोई ठोस कार्ययोजना तैयार नही की गई थी। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अभिमत को स्वीकार करते हुए कहा गया कि इस विषय पर कार्ययोजना तथा नियमावली बनाई जाएगी। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो-ब

प्रस्तर 06: विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हेतु आवंटित बजट का विभागीय कार्ययोजना एवं नियमावली के अभाव में पूर्ण उपयोग न किया जाना।

संस्कृति विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण –संवर्द्धन एवं उनका सर्वांगीण विकास करना है। इसी क्रम मे विभाग द्वारा प्राचीन पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण, सर्वेक्षण, अनुरक्षण एवं प्राचीन अभिलेखों व दुर्लभ पाण्डुलिपियों को संग्रहीत कर उनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण कराया जा रहा है। विगत तीन वर्षों मे विभाग को विभिन्न योजनाओं के संरक्षण हेतु प्राप्त बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण निम्न तालिका मे दर्शाया गया है;

(रूपये लाख मे)

क्रम सं	योजना का विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	सांस्कृतिक एवं अतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय	20	-	30	1.54	30	-
2	संस्कृति के विभिन्न आयामों का आडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरन	20	4.40	20	5.70	20	-
3	विशिष्ट वास्तुकला मे निर्मित भवनों का संरक्षण एवं संवर्धन	20	-	20	-	20	-
4	लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	15	5.85	15	4.98	15	-

1- उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन मे उदासीनता वरती गई है तथा विशिष्ट वास्तुकला मे निर्मित भवनों का संरक्षण एवं संवर्धन से संबन्धित योजना पर विगत तीन वर्षों मे कोई कार्य नही किया गया है जबकि पूर्व मे विभाग द्वारा उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र के अनेक गवों का विभागीय सर्वेक्षण कर अनेक भवनों को चिहनित कराया गया था। वर्तमान मे इस दिशा मे विभाग द्वारा कोई विभागीय कार्य योजना तैयार नही की गई है जबकि इस मद मे लगातार बजट की मांग की जा रही है।

2- सांस्कृतिक एवं अतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय के संबंध मे कोई विभागीय कार्य योजना न होने एवं इस मद मे बजट आबंटन होते हुये भी वर्ष 2018-2020 तथा 19-मे कोई व्यय नही 21 किया गया है न ही इस संबंध मे कोई विभागीय नीति तैयार की गए है।

3- संस्कृति के विभिन्न आयामों का आडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरन के संबंध मे विभाग द्वारा कहा गया है कि पुरातात्विक स्मारक, स्पौराणिक मेलों लोक सनस्क्रति के संवाहक एवं लोक विधाओं का अभिलेखीकरण विभाग द्वारा क्रमिक रूप से किया जा रहा है परंतु इस योजना के लगूकरन के लिए भी विभागीय योजना नही बनाई गई है जिससे योजना का कार्यान्वयन सुचारु रूप से नही किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं आकड़ों से स्पष्ट है कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय कार्ययोजना एवं नियमावली तैयार नही की गई, जिस कारण उपलब्ध बजट का प्रयोग भी नही किया जा सका।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 01 :- उत्तराखंड बजट नियमावली के प्रावधानों को ध्यान मे न रखते हुए अविवेकपूर्ण बजट प्राक्कलन के कारण समर्पण।

उत्तराखंड बजट नियमावलीके अध्याय 5 प्रस्तर 28 व 30 के अनुसार "The estimating should be as close and accurate as possible and the provision to be included in respect of each item should be based on what is expected to be actually paid or spent during the year. The need for every item must be fully scrutinised before provision for it is included and the amount should be restricted to the absolute minimum necessary. In preparing the estimates, the average of the actuals of the past three years, as also the revised estimates for the current year, should invariably be kept in sight. Para no. 124 of Budget Manual further says that controlling officer must furnish the excess savings in prescribed form no later than 25th January so that Treasury officer could reduce the allotment accordingly."

निदेशालय के बजट संबंधी पत्रावलियों की समीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा उक्त नियमो का पालन न करते हुये वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 मे विभिन्न मदों जैसे कलाकार कल्याण कोष, धार्मिक मेला अधिष्ठान, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय, कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजनाए, स्पर्श गंगा कार्यक्रम का आयोजन, उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन, प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, शहीद स्मारक लेखकों को पुस्तक प्रकाषन हेतु वित्तीय सहायता, संस्कृति के विभिन्न आयामों का आडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण, पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेष–भूषा का क्रय, हरेला महोत्सव का आयोजन, बद्री–केदार उत्सव चैतुला उत्सव का आयोजन में कुल आवंटित धनराशि क्रमशा ₹ 2648.62 लाख, ₹ 3578.52 लाख एवं ₹ 4077.75 लाख के सापेक्ष ₹ 600.10 लाख ₹ 659.20 लाख एवं ₹ 707.43 लाख का समर्पण किया गया। अभिलेखो मे यह भी पाया गया की कार्यालय ने बचत सम्बन्धी जानकारी 25 जनवरी तक कोषागार को प्रेषित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि बजट के संबंध में भविष्य में वित्तीय नियमों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
एस.एस.–110 / 2019–20	01	04	02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	अनुपालन आख्या पृथक से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को उच्चाधिकारी के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।		–	

भाग–IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः–शून्य

भाग–V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड़, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः– शून्य

1. सतत् अनियमितताये:– शून्य
2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	बीना भट्ट	निदेशक	15.08.2009	वर्तमान तक

लघु एवं प्रकियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ए0एम0जी0–III को प्रेषित कर दी जाय।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ए0एम0जी0–III